\sim $^{\circ}$	
दिनाक:—	
191192	

सेवा में.

माननीय प्राचार्य महोदय, केन्द्रीय विद्यालय.....

विषय:- सुरक्षा प्रहरी के लिए निविदा प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में प्रार्थना है कि विद्यालय द्वारा सुरक्षा प्रहरी के लिए राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 26.10.2018 में मांगी गयी निविदा हेतु सुरक्षा कार्य करने के लिये हमारी फर्म इच्छुक है । विद्यालय द्वारा इस निविदा प्रपत्र में निर्धारित निम्नलिखित सभी शर्तों को मानते हुए फर्म का निविदा पत्र प्रस्तुत है -

- सुरक्षा के ठेके हेतु फर्म राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र सरकार के गृह मत्राांलय द्वारा पंजीकृत होनी चाहिए । जिसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र साथ में सलंग्न है।
- 2. फर्म प्रपत्र 3 (राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान 1958) का धारक हो ।
- 3. पेन सख्या एवं जी.एस.टी. सख्या का होना अनिवार्य है ।
- 4. निविदा के साथ प्रस्तुत (Earnest Money) के रूप में रूपये 30,000 / का डिमांड ड्राफट / बैंकर्स चैक जो "VVN A/c KV.No.1 Jaipur के पक्ष में जयपुर शाखा पर देय है सलंग्न है ।
- 5. फर्म के पक्ष में निविदा खुलने पर अनुबन्ध के समय सुरक्षा निधि के रूप में कुल रूपये 170,000/- (एक लाख सत्तर हजार)जमा कराए जाएगें। फर्म द्वारा जमा कराई गई Earnest Money राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र) के अतिरिक्त फर्म द्वारा रूपये 140,000/- (एक लाख चालीस हजार मात्र) डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चैक के द्वारा विद्यालय में जमा करवाए जायेंगें। अर्थात जिस फर्म के साथ सुरक्षा का अनुबंध होता है उसकी ओर से अनुबन्ध के समय जमा सुरक्षा निधि के रूप में विद्यालय में कुल रूपये 170,000/- (रूपये एक लाख सत्तर हजार मात्र)
 - 31.01.2021 तक जमा रहेंगें । फर्म द्वारा अनुबंध / निविदा की किसी भी शर्त का खंडन / उल्लघंन करने पर सुरक्षा निधि की राशि विद्यालय द्वारा जब्त कर ली जाएगी । जिसका प्रोपराईटर द्वारा क्लेम नहीं किया जाएगा।
- 6. फर्म द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है कि फर्म केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर में से जो भी अधिक होगी, उस दर से सम्पूर्ण समयाविध (01.12.2019 से 30.11.2020 के लिए मेरी फर्म कार्मिकों को भुगतान करेगी। कार्मिकों को भुगतान की गई मजदूरी, तथा दायित्वों (ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई) का प्रति माह विद्यालय में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7. कार्मिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान फर्म द्वारा रेखांकित चैक से किया जाएगा । कार्मिकों का बैंक खाता विद्यालय परिसर में स्थित केनरा बैंक की शाखा में फर्म द्वारा खोला जाएगा । कार्मिकों के खाते में रेखांकित चैक से जमा राशि की प्रविष्टि पास बुक में दर्ज करवाकर पास बुक की फोटोकापी अगले माह के बिल के साथ जमा करवानी होगी ।
- 8. सुरक्षा कार्य की दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से विद्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर दी गयी है । फर्म ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि विद्यालय द्वारा फर्म की कोई भी नयी शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी ।
- 9. उपर्युक्त कार्य के लिए निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विद्यालय को अमानत राशि (Earnest Money) जब्त करने का अधिकार होगा।
- 10. विद्यालय द्वारा बिल की राशि में से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार टी.डी.एस. एवं अन्य टैक्स काटकर भुगतान किया जायेगा।
- 11. EPF एवं ESI की राशि कार्मिक के खाते में प्रतिमाह जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा उसकी रसीद विद्यालय को प्रतिमाह प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक कार्मिक का EPF एवं ESI खाता संख्या पूर्ण रिकॉर्ड सहित विद्यालय में जमा करवा दिया जायेगा।
- 12. फर्म द्वारा नियुक्त किये गये सभी कार्मिकों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन नियुक्ति के 15 दिन के भीतर फर्म द्वारा करवाकर विद्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 13. फर्म द्वारा नियुक्त किये गये सभी कार्मिकों का चरित्र एवं व्यवहार विद्यालय की गरिमा के अनुरूप रहेगा । शराब पीकर विद्यालय में डयूटी पर आना/धूम्रपान करना/गुटखा खाना/किसी भी तरह का नशीले पदार्थ का उपयोग कर विद्यालय में सुरक्षा गार्डों के आने पर अमानत राशि जब्त कर ठेका रदद कर दिया जाएगा ।
- 14. सभी कार्मिक वर्दी में आयेंगे। रात्रि के समय तैनात सुरक्षा कर्मी व्हीसल(सीटी) बजाते हुए विद्यालय का पहरा देते रहेंगे। ड्युटी के दौरान प्रत्येक सुरक्षा गार्ड का आई.डी. कार्ड साथ में रहेगा।
- 15. ड्यूटी पर नियुक्त किया जाने वाला कोई भी कार्मिक 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगा।
- 16. सुरक्षा कर्मी प्रत्येक 08 घण्टे के बाद बदलते रहेंगे।

- 17. प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को सप्ताह में एक दिन का आराम (Rest) दिया जायेगा।
- 18. सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर निर्धारित समय से पूर्व विद्यालय द्वारा ठेका रद्द करने तथा फर्म की जमानत राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 19. विद्यालय पर सेवा कर लागू होने की स्थिति में सेवा कर जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी। फर्म द्वारा सेवा कर जमा करवाने की रसीद प्रस्तुत करने पर विद्यालय की सेवाओं पर भुगतान की गई सेवा कर राशि प्रतिमाह विद्यालय द्वारा फर्म को भुगतान कर दी जायेगी।
- 20. भारत सरकार के श्रम मत्रांलय सहित अन्य सभी कानूनों की अनुपालना फर्म द्वारा की जाएगी।
- 21. विद्यालय में ड्यूटी के दौरान किसी भी कार्मिक की किसी भी प्रकार की हानि / दुर्घटना होने पर विद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा। उसके लिये फर्म अथवा कार्मिक उत्तरदायी रहेगी।
- 22. फर्म की सुरक्षा के दौरान विद्यालय में किसी भी प्रकार की हानि या चोरी होने पर, विद्यालय को हुई हानि की राशि का सम्पूर्ण भुगतान फर्म द्वारा विद्यालय को किया जाएगा । इस हानि या चोरी की राशि सुरक्षा निधि एवं बकाया बिलो से समायोजित कर ली जायेगी । हानि या चारी की राशि सुरक्षा निधि एवं बकाया बिलो की कुल राशि से अधिक होने पर फर्म एवं प्रोपराईटर द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति से हानि की राशि का भुगतान विद्यालय को करना होगा। अतः फर्म द्वारा यह समझ लिया गया है कि सुरक्षा के अनुबन्ध के दौरान सम्पुर्ण हानि या चोरी की राशि विद्यालय को भुगतान के लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहेगी।
- 23. फर्म द्वारा विद्यालय की सुरक्षा के लिए भूतपूर्व सैनिक व सिविल सुरक्षा कर्मी, दोनों की दरें प्रस्तुत सलंग्न प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत है।
- 24. विद्यालय कार्यादेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिक व सिविल सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने की पूर्ण जिम्मेवारी फर्म की रहेगी।
- 25. फर्म की सेवाओं से सतुंष्ट नहीं नहीं होने पर बिना कारण बताये किसी भी समय अनुबंध रद्द करने का विधिक अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 26. निविदा की वैघता संविदा के शुरू होने की तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी। फर्म द्वारा दी जा रही सेवाओं से सन्तुष्ट होने की स्थिति में समयाविध दोनो पक्षों की सहमित से एक वर्ष के लिये और बढाई जा सकती है। सेवाओं में किसी भी तरह की कमी पाई जाने पर अथवा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निर्धारित समय से पूर्व भी अनुबन्ध रदद कर दिया जाएगा।
- 27. टेलैक्स / प्रतिकृति निविदा स्वीकृत नहीं होगी तथा प्रत्येक निविदा दाता की केवल एक ही निविदा स्वीकार की जायेगी। फर्म द्वारा प्रस्तुत दरों में कटिंग व ओवरराईटिंग स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 28. मुहरबंद निविदाएं दिनांक 17.10.2019 से 13.11.2019 तक (दिनांक 13.11.2019 को दोपहर 02:00 बजे तक) विद्यालय कार्यालय में केवल रिजस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। प्राप्त निविदाएं दिनांक 13.11.2019 को दोपहर 03:00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं एवं विद्यालय समिति के समक्ष प्राचार्य कक्ष में खोली जायेगी।
- 29. निविदाएँ केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकृत की जाएँगी / व्यक्तिश निविदाएँ स्वीकृत नहीं होगी।
- 30. निविदा कर्ता प्रत्येक कार्य (सेवाओं) के लिए अलग –अलग आवेदन करेगा।
- 31. निविदाकर्ता को निविदा की शर्ते एवं अन्य दस्तावेज अलग से बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे तथा फार्मेट ऑफ बिड के साथ अमानत राशि व निविदा शुल्क रूपये 200 की जमा पर्ची संलग्न कर अलग बंद लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी तथा दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सील कर लिफाफे के ऊपर जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की है अंकित करना होगा।
- 32. निविदा शुल्क रूपये 200 प्रति कार्य के लिए विद्यालय में विद्यालय विकास निधि के.वि.कमांक –1 जयपुर के नाम खाता संख्या 369202010070408 आई एफ एस सी कोड UBIN0536920 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जयपुर में जमा कराने के पश्चात जमा रसीद निविदा प्रपत्र के फार्मेट ऑफ बिड के साथ संलग्न करनी होगी । जो निविदा कर्ता निविदा शुल्क जमा नहीं करायेगा उसकी निविदा स्वीकार नहीं होगी और निविदा निरस्त करने का अधिकार विद्यालय के पास स्रक्षित रहेगा।
- 33. फर्म ने यह समझ लिया है कि विद्यालय द्वारा इस निविदा प्रपत्र के कॉलम सख्या 36 के प्रारूप (Format of Bid) में ही निविदा की दरें प्रस्तुत की जाएगी । FORMAT OF BID के कॉलम संख्या 7 के आधार पर निविदा की दरें अंतिम मानी जायेंगी । कालॅम सख्या—3 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भरना आवश्यक है। न्यूनतम मजदूरी दर से कम भरने पर निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 34. निविदा खुलने पर अनुबंध देने अथवा नहीं देने का विधिक अधिकार प्राचार्य एवं विद्यालय समिति को होगा ।
- 35. उपरोक्त सहित अन्य सभी शर्तें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार मान्य होगी ।

36. FORMAT OF BID

S.	Category of	Remunera	EPF Rate	ESI Rate (in	Service	Total (Col.
No.	Security Guard	tion per	(in Rs.) per	Rs.) per day	Charges/Charges of	No. 3&6) (in
		day per	day per	per security	Uniforms/Bonus etc.	Rs.)
		security	security	guard as	including overhead	
		Guard (in	guard as	prescribed by	profit (in Rs.) per day	
		Rs.)	prescribed	ESI	per security guard	
			by EPF	Department		
			Department	as on date		
			as on date			
1	2	3	4	5	6	7
1	Ex-Servicemen					
	Security Guard					
	without					
	arms/Home					
	Guard					
2	Civil-Security					
	Guard					

┰	_	•
٠.		

1.	सेवा शुल्क	की	दर	बिड	के	कॉलम	संख्या	03	पर	निर्धारित	की	जायेगी।	जो	कि	राशि	
	अथवा दर				<u>प</u>	ातिशत :	है।									

- 2. सेवा कर की राशि FORMAT OF BID में सिम्मिलित नहीं है। लागू होने की स्थिति में विद्यालय अलग से भुगतान करेगा।
- 3. बिड फार्मेट के कॉलम संख्या 06 में सेवा शुल्क शून्य (NIL)भरने पर निविदा को रदद् कर दिया जायेगा।
- 4. अनुबन्ध की अविध के दौरान न्यूनतम मजदुरी दर बढने पर फर्म द्वारा कार्मिको को बढी हुई दर पर भुगतान किया जायेगा। विद्यालय द्वारा भी फर्म को बढी हुई दर पर ही भुगतान किया जायेगा।
- 5. कॉलम सख्या—7 में 02 या 02 से अधिक फर्मों की दरें समान रहने पर किसी भी एक फर्म को अनुबन्ध देने का अधिकार विद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। जिसकी मुझ प्रोपराईटर को कोई आपित्त नहीं है, नाही मेरा कानूनी अधिकार रहेगा।
- 6. विदयालय दवारा FORMAT OF BID के कॉलम संख्या 7 के आधार पर निविदा की दरे अंतिम की जायेगी |

	मैं तथ	ग्र मेरी	फर्म	निविदा	प्रपत्र	में उपर्यु	क्त उ	ल्लेखित	सभी	नियम	एवं इ	शर्ती	को	स्वीकार	कर	ते हुए	! अनुब	न्धित	हूँ।
जिसके वि	गए नि	विदा	प्रपत्र	के साथ	अमानत	न राशि	(Earr	nest M	oney) के रु	न्प में	र्फ.	30,0	00/-	(रू. ं	तीस	हजार	मात्र)	की
राशि का	बैंकर्स	चैक /	⁄ डी.र्ड	ो. सं		दिनाँ	क		सं	लग्न है	.1								

संलग्न	दस्तावेजों का विवरण :
1.	
2.	
3.	
4.	

भवदीय,

प्रोप्राईटर के हस्ताक्षर
प्रोप्राईटर का नाम
फर्म का नाम
फर्म का पता
फोन नं
TIN No/GST No
PAN No
फर्म की मोहर